न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1376–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–02–2014 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 186/अपील/2012–13.

.....

राधेश्याम(दत्तक पुत्र) स्व0पन्नालाल
मूल पिता घासीराम
निवासी म.न.–3, गली नं. 01 कुम्हारपुरा, सोमवारा, भोपाल
हाल निवासी 2/59, बीमा अस्पताल परिसर
सोनागिरी, भेल, भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र.शासन
2– श्रीमती देवीबाई पत्नी स्व.पन्नालाल
निवासी म.न.–3, गली नं. 01 कुम्हारपुरा, सोमवारा, भोपाल
हाल निवासी – ग्राम मुगालिया हाट, तहसील हुजूर, भोपाल

..... अनावेदकगण

.....

श्री एम.के.सक्सैना, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक कमांक 1– अनुपस्थित
श्री फरहान खान, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/6/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–02–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मुगालियॉ हाट स्थित भूमि ख.क. 383, 388/1/2 कुल रकबा 8.05 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेखों में स्व. पन्नालाल के नाम अभिलिखित थी । स्व. पन्नालाल को कोई संतान न होने के कारण आवेदक को स्व.पन्नालाल व उसकी पत्नि देवीबाई ने गोद लिया था । जिससे आवेदक स्व0पन्नालाल एवं देवीबाई का विधि अनुसार दत्तक पुत्र हो गया था । आवेदक के पक्ष में गोदनामे का रजिस्ट्रीकरण विलेख दिनांक 24–6–95 को निष्पादित कराया गया । स्व0पन्नालाल द्वारा अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा भी दिनांक 20–6–1995 को आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया गया। वसीयतनामा के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा संशोधन पंजी कमांक 16 पर दिनांक 24–12–1998 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में नामान्तरण किया गया । उक्त आदेश का पटवारी द्वारा अमल न किये जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमि स्व0पन्नालाल के नाम पर ही राजस्व अभिलेख में अभिलिखित रहीं । उक्त प्रश्नाधीन भूमि का पुनः फौती नामान्तरण पंजी कमांक 17 पर दिनांक 15–1–1999 को आदेश पारित कर देवीबाई के नाम से नामान्तरण स्वीकार किया गया । आवेदक द्वारा उक्त फौती नामान्तरण के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–7–2013 से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–7–2013 से व्यथित होकर अपील आवेदक द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 186/अपील/2012–13 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 28–02–2014 से अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा गया। आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–02–2014 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से लिखित तर्क में बताया कि वादित भूमि पर सर्वप्रथम पंजी कमांक 16 पर पारित आदेश दिनांक 24–12–1998 से आवेदक के हित में नामान्तरण किया गया । उक्त पंजी कमांक

16 का नामान्तरण निरस्त किये बिना विचारण न्यायालय को दूसरा नामान्तरण पंजी कमांक 17 पर आदेश दिनांक 15–01–1999 पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था, जिस ओर दोनों अपीलीय न्यायालयों ने ध्यान नहीं दिया है । ना.पं.क.17 का नामान्तरण को रिओपन करने एवं जॉच करने का पर्याप्त आधार अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष था, किन्तु ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश पारित करने में त्रुटि की है । नामान्तरण पंजी कमांक 16 पर पारित आदेश दिनांक 24–12–1998 द्वारा आवेदक राधेश्याम का नामान्तरण नायब तहसीलदार द्वारा किया गया था । उसी पंजी कमांक 17 द्वारा अनावेदक देवीबाई के नामान्तरण के समय तहसीलदार एवं पटवारी के समक्ष स्पष्ट था कि उक्त भूमि का नामान्तरण पंजी कमांक 16 द्वारा राधेश्याम का हो गया है तथा राधेश्याम हितबद्ध व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार को नामान्तरण नियम 27 के अन्तर्गत निगरानीकर्ता को लिखित में सूचना देना आवश्यक था, बिना ऐसी सूचना दिये नामान्तरण करना अवैधानिक है । विचारण न्यायालय ने नामान्तरण के पूर्व विधिवत् इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया । नामान्तरण पंजी में कोई इश्तहार संलग्न नहीं है । ऐसे नामान्तरण को किसी भी स्टेज पर चुनौती दी जा सकती है । एक ही भूमि के संबंध में एक ही समय पर पृथक–पृथक पंजी द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा एक माह के अन्दर नामान्तरण पंजी कमांक 16 एवं 17 द्वारा आवेदक एवं अनावेदक के हित में नामान्तरण किये गये है, उक्त दोनों नामान्तरण के संबंध में पुनर्विलोकन कर समीक्षा किये जाने का पर्याप्त आधार है । इसी आधार पर आवेदक राधेश्याम ने तहसील न्यायालय में नामान्तरण प्रकरण कमांक 146/अ–6/2010–11 रिओपन किये जाने हेतु आवेदन दिया था, जिसमें नायब तहसीलदार ने दिनांक 15–7–2011 को अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित कर नामान्तरण पुनर्विलोकन की अनुमति मॉगी किन्तु नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 146/अ–6/2010–11 द्वारा आदेश दिनांक 1–6–2012 से अपील करने के निर्देश निगरानीकर्ता को दिये । जिस पर निगरानीकर्ता ने अपील प्रस्तुत की फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों पर ध्यान दिये बिना अनावेदक देवीबाई का

नामान्तरण पंजी कमांक 17 पर हुये नामान्तरण को बिना साक्ष्य के एवं बिना जॉच के यथावत् रखने में त्रुटि की है । दोनों नामान्तरण आदेश दिनांक 24–12–1998 एवं 15–01–1999 के पालन में पटवारी ने राजस्व अभिलेख में कोई संशोधन नहीं किया तथा वर्ष 2003 में पंजी कमांक 13 दिनांक निरंक व आदेश दिनांक निरंक उल्लेख कर सरपंच के हस्ताक्षर से भी नामान्तरण आदेश दिये है जो शून्य एवं अवैधानिक है । इस प्रकार तीनों नामान्तरणों से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा किया गया नामान्तरण विवादित था तथा बिना साक्ष्य एवं जॉच किये पंजी पर नामान्तरण करने का अधिकार नायब तहसीलदार या सरपंच को नहीं था जिस ओर अपीलीय न्यायालयों ने ध्यान नहीं दिया है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने इस तथ्य का ज्ञान होते हुये भी कि स्व.पन्नालाल ने आवेदक के हित में दिनांक 20–06–1995 को एक वसीयत दो गवाहों के समक्ष उप–पंजीयक कार्यालय भोपाल में पंजीबद्ध करायी है तथा दत्तक विलेख स्व. पन्नालाल एवं अनावेदक कमांक 2 ने दिनांक 24–6–1995 को उप–पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध कराया है । उक्त दोनों दस्तावेजों पर विचारण न्यायालय ने कोई साक्ष्य अंकित नहीं की है और न ही जॉच की है । अपीलीय न्यायालयों ने भी उक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई कथन या साक्ष्य अंकित नहीं की है । आवेदक ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य में उक्त दस्तावेज में उल्लेखित गवाहों आवेदक स्वयं के कथन, संजय सक्सैना एवं आलोक राठौर के कथन शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं । ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य था कि विचारण न्यायालय के नामान्तरण आदेश निरस्त कर विस्तृत साक्ष्य एवं जॉच हेतु मामला विचारण न्यायालय को भेजकर प्रतिवेदन बुलाते तत्पश्चात् गुणदोषों पर आदेश पारित करते । पंजीबद्ध दस्तावेजों को जब तक साक्ष्य द्वारा खण्डित नहीं किया जाता, उस समय तक पंजीबद्ध दस्तावेजों को अवैध नहीं माना जा सकता है । पंजीबद्ध दस्तावेजों के आधार पर राजस्व न्यायालय नामान्तरण करने हेतु बाध्य है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश लिखित साक्ष्य एवं बिना जॉच के मात्र संभावनाओं पर एवं तर्को के आधार पर आधारित है, जो निरस्ती

योग्य है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में यह भी बताया कि आयुक्त न्यायालय को अपने आदेश में उल्लेख करना कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समयावधि बाह्य अपील प्रस्तुत की है एवं समयावधि के संबंध में संतोषप्रद कारण नहीं बताया है, जो गलत है । अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की अपील समयावधि के बिन्दु पर निराकृत न कर गुणदोषों पर निरस्त की है । इसके अलावा नामान्तरण आदेश दिनांक 15–01–1999 अवैधानिक होकर शून्य है । ऐसे आदेश को निरस्त करने हेतु अवधि विधान के प्रावधान लागू नहीं होते है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि आवेदक एवं स्व. पन्नालाल प्रजापति (कुम्हार) समाज के है । उक्त समाज में व्यस्क तथा विवाहित व्यक्ति को गोद लिये जाने की प्रथा है । इस संबंध में समाज का प्रमाण पत्र अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया है । समाज की प्रथा अनुसार आवेदक को गोद लिया गया है । गोदनामा दस्तावेज उप–पंजीयक के समक्ष पंजीबद्ध किये जाने के समय आवेदक की आयु 26 वर्ष थी । दस्तावेज निष्पादन में स्व0 पन्नालाल उनकी पत्नी देवीबाई एवं निगरानीकर्ता के माता–पिता के हस्ताक्षर है । हिन्दू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 3 एवं 10 के आधार पर विशेष परिस्थितियॉ एवं रूढी होने पर गोद लिया जा सकता है । उक्त वसीयत एवं गोदनामा माननीय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल के समक्ष स्व.पन्नालाल के हित में भेल भोपाल के विरूद्ध वाद कमांक 33ए/76 में पारित डिक्री के इजरा प्रकरण कमांक 318/07 में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अनावेदक कमांक 02 देवीबाई ने उक्त वसीयतनामा एवं गोदनामा के संबंध में शपथपत्र दिनांक 16–4–2010 को प्रस्तुत किया है । माननीय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुश्री सरिता सिंह के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल ने उक्त गोदनामा एवं वसीयतनामा मान्य कर डिक्री के धन का भुगतान आवेदक राधेश्याम को करने के आदेश इजरा प्रकरण कमांक 318/07 में दिनांक 2–8–2010 को दिये है । इसी प्रकार न्यायालय गैस राहत कल्याण आयुक्त भोपाल ने स्व. पन्नालाल का उत्तराधिकारी आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 को संयुक्त रूप से मान्य कर दावा राहत राशि का भुगतान प्रकरण

क्रमांक 2485ए/1993 दिनांक 18–01–2011 तथा प्रकरण क्रमांक 1355/9ए/1993 दिनांक 08–12–2011 द्वारा किया है । उक्त दोनों आदेश की प्रतियॉ अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के न्यायालयमें प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत की है । जब अन्य सक्षम न्यायालयों ने वसीयत एवं गोदनामा मानकर आवेदक को स्व0पन्नालाल का उत्तराधिकारी माना है तो ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को बिना साक्ष्य एवं अनुमान के आधार पर वसीयतनामें एवं गोदनामें को अमान्य करने का अधिकार नहीं है । वसीयतनामें में यह भी स्पष्ट था कि आवेदक/वसीयतग्रहिता वसीयतकर्ता की भूमि का नामान्तरण करायेगा तथा अनावेदक क्रमांक 2 का भरण पोषण करेगा एवं वसीयतकर्ता की पत्नी अर्थात अनावेदक क्रमांक 2 के जीवित रहने तक वादित भूमि का हस्तान्तरण नहीं करेगा । आवेदक विवादित भूमि पर रजिस्ट्रीकृत बिल के आधार पर नामान्तरण का अधिकारी है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर अनावेदक क्रमांक 2 के हित में किये गये नामान्तरण आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि पूर्व में नामान्तरण पंजी क्रमांक 16 पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया था तत्पश्चात् पंजी क्रमांक 17 पर पुनः प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । इस आधार पर कहा गया कि नामान्तरण पंजी क्रमांक 13 पर दिनांक 14–4–2003 को अनावेदिका का नामान्तरण हो चुका है और उक्त नामान्तरण को चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है । अतः यदि नामान्तरण पंजी क्रमांक 17 में हुये अनावेदिका के नामान्तरण को निरस्त भी कर दिया जाता है, तब भी प्रकरण के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आवेदक द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 17 पर हुये नामान्तरण के विरूद्ध अपील एवं निगरानी प्रस्तुत की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि लगभग 20 वर्ष तक वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है और 20

वर्ष तक वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं करने का कारण भी नहीं बतलाया गया है । तर्क में यह भी कहा कि आवेदक द्वारा पहले वसीयतनामा निष्पादित कराया गया और 4 दिन बाद ही गोदनामा निष्पादित करा लिया था, जो संदेह की श्रेणी में आता है । अंत में अनावेदिका कमांक 2 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाये।

5/ प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा एवं गोदनामा है । तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 16 पर दिनांक 24–12–1998 को आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है एवं नामान्तरण पंजी कमांक 17 पर अनावेदिका कमांक 2 देवीबाई का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है । उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण विवादित था । नामान्तरण पंजी पर अविवादित नामान्तरण आदेश पारित करने का प्रावधान संहिता की धारा 109 व 110 में है, विवादित नामान्तरण, नामान्तरण पंजी पर पारित नहीं किया जा सकता है । चूँकि आवेदकगण के पक्ष में पंजीकृत दस्तावेज थे, अतः यह विधिक आवश्यकता थी कि तहसीलदार उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते, साक्ष्य आदि लेकर नामान्तरण प्रकरण का निराकरण करते, परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त कार्यवाही नहीं किये जाने से तहसील न्यायालय द्वारा पारित दोनों नामान्तरण आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में इस आशय का स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्रकरण दर्ज कर इश्तिहार एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण किये जाना चाहिये था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को स्वयं वसीयतनामा एवं गोदनामा पर साक्ष्य

लेकर प्रकरण में नामान्तरण आदेश पारित करना था, परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त प्रकिया नहीं अपनाकर तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 16 पर पारित आदेश दिनांक 24–12–1998 निरस्त करते हुये नामान्तरण पंजी कमांक 17 पर नामान्तरण आदेश दिनांक 15–1–1999 यथावत् रखने में विधि की गंभीर भूल की गई है और अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों को दृष्टि ओझल कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश भी वैधानिक आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस निगरानी में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित देकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत दस्तावेजों पर विधि के प्रावधानों के अनुरूप साक्ष्य आदि लेकर नामान्तरण आदेश पारित करें । अनावेदक की ओर से उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि आवेदक द्वारा लगभग 20 वर्ष तक वसीयतनामा व गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया और 20 वर्ष तक वसीयतनामा व गोदनामा प्रस्तुत नहीं करने का कारण भी नहीं बतलाया गया है क्योंकि इस बिन्दु पर तहसीलदार द्वारा सुनवाई करने के पश्चात् ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समस्त आदेश निरस्त किये जाते हैं और प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर साक्ष्य आदि लेकर विधि के प्रावधानों के अनुरूप नामान्तरण आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर